भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2385

उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि

†2385. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (27.1 प्रतिशत) संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में बहुत कम हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उच्च सकल नामांकन अनुपात वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सकल नामांकन अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख) उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2020-21 में 27.3 और 2014-15 में 23.7 (18-23 आयु वर्ग की 2011 की जनगणना के जनसंख्या अनुमान के आधार पर) से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 28.4 हो गया है।

भारत में, एक वर्ष के लिए जीईआर को उस विशेष वर्ष में देश में उच्चतर शिक्षा में नामांकन के अनुपात के रूप में लिया जाता है, जो उस वर्ष के लिए 18-23 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात के रूप में है। उच्चतर शिक्षा में जीईआर कई कारकों, जैसे आयु वर्ग में

जनसंख्या, उच्चतर शिक्षा के लिए उपलब्ध योग्य छात्र जनसंख्या (यानी, स्कूल पास आउट), विदेशों से छात्रों का आगमन और निर्गमन आदि से प्रभावित होता है।

छात्रों के बढ़ते नामांकन के आधार पर, देश का जीईआर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन 2014-15 (2014-15 से 91 लाख छात्रों की वृद्धि, यानी 26.5%) में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 4.33 करोड़ हो गया है। महिला जीईआर (2014-15 में 22.9 से 2021-22 में 28.5), एससी जीईआर (2014-15 में 18.9 से 2021-22 में 25.9) और एसटी जीईआर (2014-15 में 13.5 से 2021-22 में 21.2), पिछले कुछ वर्षों में, 2014-15 के बाद क्रमशः महिला छात्रों (32%), एससी छात्रों (44%) और एसटी छात्रों (65.2%) के उच्चतर शिक्षा हेतु नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) सरकार ने उच्चतर शिक्षा में जीईआर बढ़ाने हेतु कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ शामिल हैं: -

I. अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (एचईआई) खोलना:- एआईएसएचई के तहत पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या 2014-15 में 760 से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 1168 हो गई है। इसी प्रकार, एआईएसएचई के तहत पंजीकृत कॉलेजों की संख्या 2014-15 में 38498 से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 45473 हो गई है।

II. मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओडीएल): - यूजीसी द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मानकों के आधार पर पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति देना, ताकि ऐसे ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ सके।

III. एकाधिक प्रवेश और निर्गमन प्रदान करना: - एकाधिक प्रवेश और निकास का प्रावधान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बहुत आवश्यक लचीलापन और उचित निर्गमन के साथ-साथ पुन: प्रवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अपने अधिगम पथ का चयन करने में सुविधा मिलती है। यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने की अनुमति देगा, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ ड्रॉप-आउट दर में कमी आएगी और जीईआर में वृद्धि होगी।

IV. स्वयम (स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग असपिरिंग माइंड्स): - स्वयम सभी प्रशिक्षार्थियों के लिए कभी भी, कहीं भी सीखने के अवसर प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक) मंच है। यह स्कूल से स्नातकोत्तर स्तर तक कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो प्रमाणन या डिग्री के लिए क्रेडिट प्रदान करने में सक्षम बनाता है। स्वयम पाठ्यक्रमों के लिए 40% तक क्रेडिट अंतरण उपलब्ध है। प्रत्येक सत्र में लगभग 35 लाख छात्र स्वयम पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करते हैं।

V. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-रूसा) योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

VI. एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों सहित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येयवृत्ति योजनाओं को लागू करना।

VII. छात्रों, विशेष रूप से स्थानीय भाषा/ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए, भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को सुगम बनाने के लिए 13 भाषाओं में जेईई, नीट (यूजी) और साझा प्रवेश परीक्षाएँ(सीयूईटी) संचालित करना।

एआईएसएचई, 2021-22 (अनंतिम) के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जीईआर, लिंक **https://www.education.gov.in/parl_ques** पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर जीईआर वाले राज्यों को उनके संस्थानों के लिए ग्रेडेड स्वायत्तता, कौशल वृद्धि हेतु पाठ्यक्रमों को संरेखित करने और उनके छात्रों की अधिक रोजगार क्षमता, ओडीएल के लिए उनके संस्थानों की मान्यता, छात्रा को अपने स्वयं अधिगम मार्ग चुनने के लिए प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करने, अपने राज्यों के छात्रों के लिए अधिक पहुंच और समावेशिता प्रदान करने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा क्षमताओं को बढ़ाना आदि जैसे प्रावधानों का लाभ उठाने के अवसर प्रदान करती है।

*****